मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, बल्लभ भवन

क्रमांक/208/F/सात-6/2024 भोपाल, दिनांक 01/10/2024

प्रति,

कलेक्टर
जिला (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय -प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वी किश्त वितरण दिनांक 05/10/2024 को **"पीएमकिसान उत्सव दिवस"** के रूप में मनाये जाने हेतु।।

संदर्भ् -सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का पत्र क्रमांक D.O. No.9-3/2024-FWS-Part(1) दिनांक 27/09/2024 एवं अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्र क्रमांक D.O. 9-3/2024-FWS-Part(2) दिनांक 26/09/2024

विषयान्तर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वर्ष में कुल राशि रूपये 6000/- तीन समान किश्तों में प्रदान की जाती है। संदर्भित निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किश्त वितरण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 05/10/2024 को Waigaul, Washim, Maharashra से किया जा रहा है। 18वीं किश्त वितरण दिवस को **"पीएमकिसान उत्सव दिवस"** के रूप में मनाया जाना है।

इस प्रकार योजनांतर्गत "पीएमकिसान उत्सव दिवस" मनाए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

1. माननीय विधायक/माननीय सांसद सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिला/ब्लॉक स्तर पर विधिवत आमंत्रित किया जाये।
2. जिला/ब्लॉक स्तर पर प्रोजेक्टर/बडी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाए।
3. जिलों की ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था कर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाए।

4. योजनांतर्गत पटवारियों को नियत ग्राम हेतु VNO (Village Nodal Officer) नामांकित किया गया है, अत: सभी VNO को विषयांकित कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित किया जाए।
5. VNO संबंधित कृषकों को भी कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित होने हेतु प्रेरित करेंगे एवं हितग्राहियों को किश्त प्राप्त करने हेतु ई-केवायसी (पीएमकिसान मोबाईल एप, पीएमकिसान पोर्टल एवं सीएससी केन्द्र), आधार एव बैंक खाता लिंकिंग (संबंधित बैंक शाखा एवं इंडिया पोस्ट पेमेंटट बैंक) एवं पीएमकिसान पोर्टल पर स्टेटस अवलोकन करने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे।
6. अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन MyGOV प्लेटफार्म के माध्यम से कराया जाकर कार्यक्रम से लाईव जुडने हेतु अवगत कराया जाये।
7. कार्यक्रम से जुडने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक https://pmindiawebcast.nic.in का उपयोग किया जा सकता है।
8. स्थानीय समाचार पत्रों एवं सोशल मीडियो के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए।

(विवेक कुमार पोरवाल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रमांक/208/F/सात-6 /2024 भोपाल, दिनांक 01/10/2024

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
2. आयुक्त, जनंपर्क, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. आयुक्त, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश की निर्देशानुसार KVK स्तर पर नियमानुसार कार्यक्रम आयोजित करने हेतु।
4. आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।
5. संभागीय आयुक्त (समस्त संभाग) मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग